पूर्व मध्य रेल

प्रबंधन में रेल कर्मचारियों की भागीदारी

(PARTICIPATION OF RAILWAY EMPLOYEES IN MANAGEMENT – PREM)

वर्ष 2017

प्रेम समूह की तृतीय बैठक

स्थान :

मुख्यालय सभाकक्ष, हाजीपुर

दिनांक : 28 दिसम्बर 2017

समय : 11.30 बजे

INTRODUCTION

- **P R E M (Participation of Railway Employee in Management)**
- It was setup in the ministry of Railway in the year 1972 and the Zonal Railways in 1977.
- **On Indian Railways it is working on three-tier basis.**
  1. Railway Board Level
  2. Zonal Railway Level
  3. Divisional Railway Level

ZONAL LEVEL

- Chairman - GM
- Secretary - Dy. GM (G)
- Administrative side - AGM & All PHODs
- Staff side - Four representatives of ECRKU
- Two representatives of Railway Officers Association.
- Two representatives of Promotee Officers Association.
- Two representatives of SC&ST Association.
- Two representatives of OBC Association.
- Two representatives of RPF Association.

PREM Meeting held at Zonal Level-2016

- Meeting : once in three months :
- 1st Meeting :29 April 2016
- 2nd Meeting :02 September 2016
- 3rd Meeting :15 December 2016

PREM Meeting held at Zonal Level-2017

- 1st Meeting : 24 March 2017
- 2nd Meeting : 24 August 2017

वास्तविक आय (2017–18)

(नवम्बर, 2017 तक)

(करोड़ रूपये में)

मद	उपलब्धि (2016–17)	लक्ष्य (2017–18)	संचयी उपलब्धि				
			वास्तविक (2016–17)	आनुपातिक लक्ष्य (2017–18)	उपलब्धि (2017–18)	% अंतर 2016–17	% अंतर आनुपातिक लक्ष्य
यात्री आय	2602.78	2751.62	1770.46	1871.71	1846.24	4.28	**-1.36**
अन्य कोचिंग आय	141.46	148.53	96.52	101.34	107.76	11.65	**6.34**
माल आय	10746.90	11456.19	6685.80	7127.05	8071.83	20.73	**13.26**
विविध आय	178.11	249.91	78.75	193.15	99.17	25.93	**-48.65**
कुल	13669.25	14753.54	8631.53	9293.25	10125.00	17.30	**8.95**

संविभाजित आय(Apportioned Earnings)(2017–18)

(नवम्बर , 2017 तक)

(करोड़ रूपये में)

मद	वास्तविक 2016–17	लक्ष्य 2017–18	वास्तविक नवम्बर 2016 के अंत तक	बजट अनुपात नवम्बर 2017 के अंत तक	वास्तविक नवम्बर 2017 के अंत तक	पिछले वर्ष का		आनुपातिक लक्ष्य	
						अंतर	% अंतर	अंतर	% अंतर
यात्री	2334.38	2456.58	1578.65	1699.06	1645.07	66.42	**4.21**	-53.99	**-3.18**
अन्य कोचिंग	54.70	80.00	34.51	56.11	35.79	1.28	**3.71**	-20.32	**-36.21**
माल	8302.24	9140.00	5192.63	5694.93	5517.44	324.81	**6.26**	-177.49	**-3.12**
विविध	178.11	249.91	78.75	193.15	99.17	20.42	**25.93**	-93.98	**-48.65**
कुल	10869.43	11926.49	6884.54	7643.25	7297.47	412.93	**6.00**	-345.78	**-4.52**

माल लदान (मिट्रिक टन में) (नवम्बर, 2017 तक)

मद	वास्तविक 2016–17	लक्ष्य 2017–18	लक्ष्य 2017–18	वास्तविक 2016–17	वास्तविक 2017–18	% अंतर 2016–17	% अंतर लक्ष्य
	वार्षिक		अप्रैल–नवम्बर				
कोयला	105.33	110.65	70.96	65.62	74.35	**13.31**	**4.78**
कच्चा माल (स्टील प्लान्ट के लिए)	0.08	0.16	0.08	0.04	0.14	**227.27**	**80.00**
सिमेंट	1.37	1.56	1.26	0.95	2.04	**115.12**	**61.51**
मिनिरल ऑयल	1.05	1.28	0.83	0.71	0.90	**26.30**	**8.19**
खाद्य सामग्री	1.37	1.80	1.00	0.88	1.10	**25.51**	**10.20**
अन्य	6.97	6.55	4.28	3.98	3.30	**-17.07**	**-22.83**
कुल	116.17	122.00	78.41	72.18	81.83	**13.37**	**4.36**

टिकट जॉच का कार्य (नवम्बर , 2017 तक)

विवरण	गत वर्ष 2016–17 नवम्बर, 2016 तक	चालू वित वर्ष 2017–18 नवम्बर, 2017 तक	% अंतर गत वर्ष के साथ
पेनाल्टी मामलों की संख्या (लाख में)	13.24	15.46	**16.75**
पेनाल्टी आय (करोड़ में)	52.56	62.88	**19.63**
यूबीएल मामलों की संख्या (लाख में)	2.83	2.44	**-13.55**
यूबीएल से आय (करोड़ में)	1.62	1.37	**-15.34**

चर्चा का विषय

1.स्टेशन, कॉलोनी एवं रेल गाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना ।

2.जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन ।

वर्तमान एजेण्डा पर प्राप्त सुझाव/विचार

1.0	एजेण्डा (1)–स्टेशन, कॉलोनी एवं रेल गाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना ।	
1.1	(क) रेलवे कॉलोनियों की सफाई– पूर्व मध्य रेल में सभी कॉलोनियों की सफाई का जिम्मा स्वास्थ्य विभाग पर है । लेकिन क्वार्टरों के अनुपात में स्वास्थ कर्मी कम है । इसलिए भली–भांति सफाई नहीं हो पाती है। अतः ऐसी स्थिति में आवास संख्या के मुताबिक काम का बंटवारा इलाके के अनुसार करने पर ही सफाई हो सकती हैं। विशेषतः ग्रुप 'सी' एवं 'डी' कर्मचारियों के आवास वाले क्वार्टरों एवं कॉलोनियों की सफाई भली–भांति नहीं होती है।	महासचिव ईसीआरकेयू

1.0	एजेण्डा(1)–स्टेशन, कॉलोनी एवं रेल गाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना ।	
1.1	सुझाव – कॉलोनियों के प्रत्येक पथ एवं क्वार्टरों के ईर्द–गिर्द रोजमर्रा अथवा एक रोज के अंतराल पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ कॉलोनियों के क्वार्टर में रहनेवाले कर्मियों को भी समय–समय पर स्वास्थ विभाग द्वारा सफाई की महता का प्रशिक्षण देना चाहिए। कम से कम माह में एक बार कॉलोनियों मे ंजाकर इससे मिलने मिलनेवाले फायदे के बारे में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था होनी चाहिए।	महासचिव ईसीआरकेयू

1.0	एजेण्डा(1)–स्टेशन, कॉलोनी एवं रेल गाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना ।	
1.1	(ख) स्टेशन परिसर एवं ट्रेनों में स्वच्छता के लिए सफाई कर्मी को बराबर उपस्थित रहना चाहिए। किसी प्रकार के गंदगी को तुरंत हटा देना चाहिए। क्योंकि परिसर में यात्रियों का बराबर आना–जाना रहता है। बीच–बीच में ध्वनि प्रसारण द्वारा यात्रियों का ध्यान आकृष्ट कर साफ–सफाई पर निर्देशित करना तथा गंदगी न लगाना एवं व्यवस्थित जगह पर निकृष्ट वस्तुओं को अनधिकृत भेन्डरों द्वारा खाने–पीने की वस्तुओं की विक्री पर रोक लगाना। अनाधिकृत भेन्डरों के लिए सफाई की व्यवस्था संबंधी उपकरण (कूड़ादान) लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि यात्रीगण इधर–उधर रेल परिसर में कुड़ा न फेके।	महासचिव ईसीआरकेयू

1.0	एजेण्डा (1)–स्टेशन, कॉलोनी एवं रेल गाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना ।	
1.2	(क) स्टेशन में :– (i) स्टेशन में जगह–जगह पर डस्टवीन लगाया जाना चाहिए एंव उसके अन्दर पॉलीथीन लगा हो। (ii) स्टेशन पर समय–समय पर स्वच्छता जागरूकता अभियान अवश्य चलाना चाहिए। (iii) अनधिकृत वेंडर के द्वारा गंदगी फैलाने पर रोक लगना चाहिए। आउट सोंसिग से सही ढ़ग से सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।	महासचिव ओबीसी.एशो.

1.0	एजेण्डा(1)–स्टेशन, कॉलोनी एवं रेल गाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना ।	
1.2	(ख) रेलवे कॉलोनी :– (i) रेलवे कॉलोनी में सफाई नाम का चीज नही रह गया है। आउट सोंसिग से सफाई कराया जाता हैं जो संतोषजनक नहीं है। ठेकेदार पर किसी का नियंत्रण नही है।कर्मचारी उनसे अपनी ब्यथा नही बता सकते हैं। (ii) रेलवे कॉलोनी में स्वच्छ जल नही मिल पाता है।पानी टंकी का उपरी भाग खुला रहता है। जिसमें पंछियों द्वारा गंदगी फैला दी जाती है। समय पर पानी टंकी सफाई नहीं हो पाता है। कही–कही रेलवे कॉलोनी में सुअर खुले आम घूमता है एवं गंदगी फैलाता है। (iii) रोड का टूटा फूटा रहना भी स्वच्छता को प्रभवित करना है। यदि बगल के पंचायत या नगर परिषद के माध्यम से सफाई सहयोग मिलता है तो उसे लेना चाहिए।	महासचिव ओबीसी. एशो.

1.0	एजेण्डा(1)–स्टेशन, कॉलोनी एवं रेल गाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना ।	
1.2	(ग) रेल गाड़ियों में :– रेल गाड़ियों में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाना चाहिए खासकर बड़े स्टेशनों पर समय–समय पर चलाना चाहिए। हमारे संगठन द्वारा भी समय–समय पर स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया जाता है। बायेंटॉलेट की व्यवस्था वाली ट्रेन में डस्टबिन वाशरूम में रहना चाहिए ताकि यात्री गंदगी उसी में डाले।	महासचिव ओबीसी.एशो.

1.0	एजेण्डा(1)–स्टेशन, कॉलोनी एवं रेल गाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना ।	
1.3	1.स्वच्छता को प्रभावित करने वाले एवं गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाय। 2.रेल कर्मचारियों एवं रेल यात्रियों को स्वच्छता के प्रति संवेदनशील एवं जागरूक बनाया जाय। 3.रेल आवासों एवं कार्यालयों के स्वच्छता के स्तर को एक समिति बनाकर मापा जाए तथा तदनुसार प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत किया जाए। 4.स्वच्छता अभियान में वार्ड पार्षदों, मुखिया ,एन0जी0ओ0, जिला प्रशासन आदि का सदुपयोग किया जाए । 5. स्वच्छता के कार्य में लगे एजेन्सी की कार्यो पर नजर रखी जाए। 6.सफाई के पश्चात् कूड़ा/ कचड़ा का उठाव प्रत्येक दिन तथा उसका यथोचित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। 7. कचड़ा से खाद्य आदि बनाने जैसे नवीनतम तकनीकि का उपयोग राज्य सरकार या निजी संस्था के सहयोग से किया जाए।	**अध्यक्ष आरपीएफ एशो0**

1.0	एजेण्डा(1)–स्टेशन, कॉलोनी एवं रेल गाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना ।	
1.4	स्टेशन के सफाई हेतु आउट–सोंसिंग किया गया है। परंतु आउट–सोंसिंग के तहत सफाई कराये जाने के संबंध में नियम तथा शर्तो के साथ ड्यूटी पर तैनात सफाई कर्मी के संबंध में विवरण स्टेशन परिसर में दर्शाया जाना चाहिए । कॉलोनियों की सफाई हेतु भी आउट–सोंसिंग के तहत सफाईकर्मियों की तैनाती होनी चाहिए, जिसमे रे.सु.ब. के बैरकों की सफाई हेतु भी व्यवस्था होनी चाहिए । कॉलोनियों की पानी निकासी एक बड़ी सम्स्या है। जैसे हाजीपुर मुख्यालय के नजदीक हाजीपुर दक्षिण कॉलोनी का चाहरदिवारी टूटा होने के कारण काफी भयावह स्थिति बन जाती है। संरक्षा हेतु रे.सु.ब के मार्गरक्षण पार्टी को इंटर चेंजिंग पॉवाइंट जैसे गया मुगलसराय ,राजगीर ,किउल पाटलीपुत्र ,बरौनी इत्यादि स्थानपर रनिंग रूम के समान व्यवस्था होनी चहिए ताकि कार्य क्षमता का विकास हो सके।	कार्यकारी महासचिव आरपीएफए एशो0

1.0	एजेण्डा(1)–स्टेशन, कॉलोनी एवं रेल गाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना ।	
1.5	स्टेशन– स्टेशनों पर स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु स्टेशनों का वर्गीकरण किया गया है और उसी के अनुसार विभिन्न विभागों को दायित्व सौपा गया है। बड़े स्टेशनों पर चिकित्सा विभाग को, कुछ स्टेशनों को वाणिज्य विभाग एवं अन्य छोटे स्टेशनों को परिचालन विभाग को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। परिचालन विभाग के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों को बाहरी एजेन्सी के द्वारा सफाई करायी जाती है। इसके लिए स्टेशन मास्टर को कैश इम्परेस्ट भी दिया गया है, तथा उक्त स्टेशनों का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण भी इन्हीं के देखभाल में की जाती है।	प्रमुपरिप्र

1.0	एजेण्डा(1)–स्टेशन, कॉलोनी एवं रेल गाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना ।	
1.5	रेल गाड़ियों में डिपो स्टेशनों पर साफ–सफाई करवाया जाता है। गाडी खुलने पर "ऑन बोर्ड" भी सफाई की व्यवस्था की गई है। इसके बाद भी सफाई हेतु नोटिश स्टेशन को पूर्व में ही नामित किया गया है जहॉ पर गाड़ियों के ठहराव के मुताबिक सफाई की व्यवस्था की गई है और इसकी पूरी जानकारी WTT में दिया गया है। रेलवे कॉलोनीः– सामान्यतः मेडिकल/चिकित्सा विभाग के द्वारा बाहय एजेन्सियों से सफाई की व्यवस्था की गई है।	प्रमुपरिप्र

1.0	एजेण्डा(1)–स्टेशन, कॉलोनी एवं रेल गाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना ।	
1.6	स्टेशन कॉलोनी एवं रेलगाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करनाः– स्टेशन कॉलोनी एवं रेलगाड़ियों में स्वच्छता रेलवे के मैनुअल के अनुसार होता है। बाह्य स्वच्छता की शुरूआत अंर्तमन से होती है। यदि अंर्तमन मलीन है तो बाह्य स्वच्छता टिकाऊ नहीं रह सकती है। जन चेतना जागरण बाह्य स्वच्छता के लिये अत्यन्त आवश्यक है। Print Media, Display Boards, Audio-Video visuals इस कार्य के लिये सहायक हो सकते है। स्कूली बच्चों द्वारा चेतना जागरण मार्च निकालना आदि।	प्रमुइं

1.0	एजेण्डा(1)–स्टेशन, कॉलोनी एवं रेल गाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना ।	
1.7	• स्वच्छता के प्रति जागरूकता से संबंधित पोस्टर/बैनर स्लोगन आदि का स्टेशनों पर प्रदर्शन और उद्घोषण द्वारा प्रचारित किया जाना । • स्टेशन परिसर और ट्रेनों में स्वच्छता तथा बेडरोल की सफाई से संबंधित शिकायतों की मोनिटरिंग । • अधिकारियों/निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से स्टेशनों और ट्रेनों का निरीक्षण । • अन्य स्टेशनों को भी स्वच्छता के लिए आउटसोर्सिंग प्रणाली में शामिल किया जाना और उनकी मोनिटरिंग करना । • एस.आई.जी. की त्रिस्तरीय निरीक्षण में स्टेशन स्तर पर पर्यवेक्षक द्वारा मंडल स्तर पर जे.ए.जी./ब्रांच अधिकारी द्वारा और मुख्यालय स्तर पर एस.ए.जी. अधिकारियों द्वारा कराया जाना ।	**प्रमुवाप्र**

1.0	एजेण्डा(1)–स्टेशन, कॉलोनी एवं रेल गाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना ।	
1.7	• रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने और अशोभनीय हरकत करने वालों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाना । • स्टेशन के फर्श को साफ करने के लिए उपयुक्त मेकानाइज्ड उपकरणों की मदद लिया जाना । • कुछ नए प्रयोग यथा पटना जं. पर सी.सी.टी.वी. द्वारा स्वच्छता की मोनिटरिंग किया जाना । अन्य बड़े स्टेशनों पर भी इस व्यवस्था को क्रमवार ढंग से लागू करने की योजना । • स्टेशनों पर अधिक संख्या में डस्ट–बीन की व्यवस्था किया जाना । • प्रारंभिक पर रख–रखाव के दौरान सभी प्रारंभिक–स्वामित्व वाली ट्रेनों में मेकानाइज्ड कोच क्लीनिंग की व्यवस्था ।	**प्रमुवाप्र**

1.0	एजेण्डा(1)–स्टेशन, कॉलोनी एवं रेल गाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना ।	
1.7	• सभी प्रमुख मेल/एक्स. ट्रेनों में स्वच्छता और साफ–सफाई को सुनिश्चित करने हेतु 'ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस' की व्यवस्था किया जाना । ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस दानापुर मंडल के RNCC Depot में ट्रेन नं. 12309/10, 13201/02, 13237/38–39/40, 12355/56, 12395/96, 12393/94, 12023/24, 12065/66, 13281/82, 22353/54 एवं 22355/56 दानापुर डिपो में 13255/56, 23251/52, 13245/46–47/48 एवं 13287/88 राजगीर डिपो में 12391/92 धनबाद मंडल के धनबाद डिपो में 13351/52 उपं 13307/08 मुगलसराय मंडल के गया डिपो में 12397/12398 सोनपुर मंडल के बरौनी डिपो में 12553/54, 12521/22, 15203/04 एवं 15231/32 समस्तीपुर मंडल के रक्सौल डिपो में 15273/74, सहरसा डिपो में 15279/80 जयनगर डिपो में 12569/70 प्रावधान किया गया है ।	प्रमुवाप्र

1.0	एजेण्डा(1)–स्टेशन, कॉलोनी एवं रेल गाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना ।	
1.7	• 'क्लीन ट्रेन स्टेशन' स्कीम मुगलसराय और बरौनी स्टेशनों पर लागू किया गया है । इस स्कीम के तहत गुजरने वाली ट्रेनों में उनके निर्धारित ठहराव के दौरान सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना । • रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुरूप पूर्व मध्य रेल में आने वाली सभी ट्रेनों में पेस्ट और रोडेंट कंट्रोल का प्रावधान किया जाना ।	**प्रमुवाप्र**

एजेण्डा(1)–स्टेशन, कॉलोनी एवं रेल गाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना ।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

1.8

प्रमुयांई

- विगत दो स्वच्छता पखवाड़ों के दौरान विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें पोस्टर, बैनर, पम्पलेट्स, स्टिकर के साथ–साथ रेडियो एवं लोकल टीवी चैनलों एवं समाचार पत्रों में स्वच्छता जागरूकता संदेश का प्रचार–प्रसार बृहत् स्तर पर किया गया है। पूमरे के मोबाइल उपभोक्ता पर रेलवे स्टेशन एवं ट्रेन में स्वच्छता बनाए रखने के प्रति संदेश प्रसारित किया गया।
- रेलवे स्टेशन परिसर की स्वच्छता सुधार हेतु कई गैर–सरकारी संगठन समय–समय पर भागीदारी निभा रहे हैं।
- रेलवे अधिकारियों के कोर ग्रुप द्वारा रेलवे परिसर एवं ट्रेन परिचालन में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की गई एवं यात्रियों द्वारा स्वच्छता संपुष्टि ली गई तथा स्वच्छता सुधार हेतु स्टेशन एवं ट्रेन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

	एजेण्डा(1)–स्टेशन, कॉलोनी एवं रेल गाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना ।	स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर
1.8	• गंदगी फैलाने वाले रेल यात्रियों पर जुर्माना की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। • बॉयो–टॉयलेट कट मॉडल का प्रदर्शन विशेष स्टेशनों पर किया गया है। • सफाई से संबंधित पूमरे के सभी स्टेशनों पर कूड़ेदान की भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। • कोच मित्र एवं क्लीन माई कोच एप द्वारा रेलगाड़ी परिचालन के दौरान पाई गई गंदगी का तीव्रतम् निष्पादन ओबीएचएस कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है। • रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया स्टेशन एवं ट्रेनों के रख–रखाव संबंधी स्टैण्डर्ड बिड डॉक्यूमेंट प्रक्रियाधीन है।	प्रमुयांई

1.0	एजेण्डा(1)–स्टेशन, कॉलोनी एवं रेल गाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना ।	
1.9	''चिकित्सा विभाग के अधिन ए–1, ए, बी, डी एवं ई श्रेणीयों के 34 स्टेशनों के साफ – सफाई का कार्य आवंटित है, जिसमें से 05 स्टेशनों का सफाई कार्य विभागीय एवं शेष 29 स्टेशनों का सफाई कार्य संविदा आधारित कराया जाता है। संविदा आधारित साफ सफाई कार्य वाले स्टेशनों पर साफ सफाई यांत्रिकृत, आंशिक रूप से यांत्रिकृत एवं मैनुअली कराया जाता है। उक्त कार्य के तहत संवेदक के द्वारा रेलवे स्टेशन, भवन, परिसर के साफ सफाई के अलावे रैग पिकिंग, कचरा निपटान का कार्य मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक एवं वमंचिधि/स्वास्थ्य के निरिक्षण में नियमित रूप से किया जाता है साथ ही साथ नाले से निकले कचरे को नगरपालिका के द्वारा नामित स्थल पर निष्पादन किया जाता है।	**प्रमुचिनि**

1.0	एजेण्डा(1)–स्टेशन, कॉलोनी एवं रेल गाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना ।	
1.9	जिन रेलवे कॉलोनियों में साफ सफाई कार्य हेतु सफाईकर्मी का पद स्वीकृत है वहॉ साफ सफाई कार्य विभागीय कराया जाता है। अन्य कॉलोनियों में संविदा पर कार्य कराया जाता है। सभी कॉलोनियों के साफ सफाई का कार्य संविदा आधारित कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ स्टेशन एवं कॉलोनियों में स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु उच्च पदाधिकारीयों के द्वारा निरीक्षण एवं औचक निरीक्षण भी लगातार किया जाता है।	प्रमुचिनि

1.0	एजेण्डा(1)–स्टेशन, कॉलोनी एवं रेल गाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना ।	
1.9	रेलवे में स्वच्छता समय की एक जरूरत बन गयी है और भारतीय रेलवे का यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। रेलवे में स्वच्छता जैसा महत्वपूर्ण कार्य आपसी सामंजस्य के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसमें रेल प्रशासन एवं यात्रियों दोनों का सहयोग आवश्यक है। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि जबतक रेल प्रशासन के साथ यात्रियों द्वारा बराबर की जिम्मेदारी नहीं निभायी जायेगी, रेलवे में साफ सफाई के लक्ष्य को हासिल करना कठिन है। यात्रियों में जागरूकता लाये जाने हेतु स्टेशनों पर सार्वजनिक घोषणा लगातार किया जाना चाहिये। उक्त के अलावे हेल्प बूथ खोला जाय साथ ही साथ लगातार साफ सफाई से संबंधित विज्ञापन स्टेशनों पर स्थापित टेलीविजन पर चलाया जाना चाहीए।	**प्रमुचिनि**

1.0	एजेण्डा(1)–स्टेशन, कॉलोनी एवं रेल गाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना ।	
1.10	स्टेशन,कॉलोनी एवं रेलगाड़ियों में स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए यात्रियों एवं कॉलोनी में रह रहे कर्मचारियों के बीच स्वच्छता जागरूकता अभियान चला कर एवं समय–समय पर विशेष सफाई अभियान चला कर स्टेशन,कॉलोनी एवं रेलगाड़ियों में स्वच्छता को सुनिश्चित किया जा सकता है।	प्रविस

1.0	एजेण्डा(1)–स्टेशन, कॉलोनी एवं रेल गाड़ियों मेंस्वच्छता सुनिश्चित करना ।	
1.11	**स्टेशन कालॉनी एवं रेलगाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना–** स्वच्छ रेल के अभियान को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब इसे हर रेलकर्मी, रेलयात्री पूर्ण मनोयोग से अपनाए । स्टेशन परिसर एवं रेलगाड़ियों को साफ–सुथरा रखने के लिए उद्घोषणा द्वारा यात्रियों को लगातार जागरूक करना होगा एवं यात्रियों को भी इसमें सहयोग देना चाहिए । कालॉनी की स्वच्छता हेतु कालॉनी में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा कम–से–कम सप्ताह में एक दिन स्वच्छता/साफ–सफाई हेतु एक घंटा श्रमदान करना चाहिए ताकि अपने आवास के आस–पास स्वच्छ वातावरण रखा जा सके ।	मुसुआ

2.0	**एजेण्डा (2)–जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन।**	
2.1	(क) जाड़े. के मौसम में कोहरा की स्थिति भयावह रहती है । ऐसी स्थिति में गाड़ियों का परिचालन संबंधी नियमों के प्रति कर्मचारियों को जागरूक कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। (ख) इस स्थिति में संरक्षित रेल परिचालन हेतु संरक्षा के लिए लोको पायलट/स्टेशन मास्टर/गार्ड को परिचालन हेतु बराबर समन्वय रखने के लिए उचित व्वयस्था होनी चाहिए। (ग) जाड़े. के मौसम में यह पाबंदी हो कि केवल लोको पायट/स्टेशन मास्टर/गार्ड के बीच ही बातचीत होकर गाड़ियों का परिचालन हो दूसरे अन्य लोगों के साथ नही हो। (घ) कुहासे से निपटने के लिए गाड़ियों के परिचालन में फोग सिगनल का व्यवहार होता था। (ड.) संरक्षा के मद्देनजर रखते हुए कुहासे में लोको पायलट द्वारा गाड़ियों की गति गाड़ी के ब्रेक भार एवं दृष्टि के अनुकूल रखना चाहिए ताकि गाड़ी को आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र नियंत्रण किया जा सके।	**महासचिव ईसीआरकेयू**

2.0	**एजेण्डा (2)**—जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन।	
2.2	• प्रथम रोक सिगनल से पहले पटाखा लगाया जाना चाहिए। • सिगनल साईटिंग बोर्ड या अन्य बोर्ड का रंगाई एवं रिफलेक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। • फॉग सिगनल डिवाइस का प्रयोग अविलम्ब होना चाहिए। • इंजन में वाइपर ,बालू एवं लूकिंग ग्लास साफ होना चाहिए। • सिगनल के आसपास पेड़ की टहनी को काटना चाहिए ताकि सिगनल स्पष्ट दिखाई दें। • सेक्शन में रात—दिन पेट्रॉलिंग होना चाहिए। • सिगनल में लाइटिग(LED) की व्यवस्था स्पष्ट होना चाहिए। • ऑलराइट सिगनल स्टेशन के दोनों तरफ से अवश्य दिया जाना चाहिए। • वॉकी—टॉकी की व्यवस्था उच्च कोटि की होनी चाहिए इसकी कमी को दूर करना चाहिए।	**महासचिव ओबीसी. एशो.**

2.0	एजेण्डा (2)–जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन।	
2.3	• एन0एच0 पर लेबल क्रसिंग पर रोड गेट सिंगनल का रख–रखाव दुरूस्त रखा जाए। • मानव रहित फाटक को समतल एवं सही हालत में रखा जाए। • लेबल क्रसिंगपर लगे स्पीड ब्रेकर मानक स्तर का एवं सही हालत में हो। • कुहासा के दौरान गेट मित्रों की मानव रहित फाटकों पर अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित किया जाए।	**अध्यक्ष आरपीएफ एशो0**

2.0	एजेण्डा (2)–जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन।	
2.4	इस संबंध में सभी वरीय मंडल परिचालन प्रबंधक को इस कार्यालय का पत्र सं0 ECR/OPTG. Safety/Fog Precaution/48/505 दिनांक 01.08.2017, 20.09.2017, 09. 10.2017 एवं 01.11.2017 को पत्र लिखा गया है। जिसमें जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन हेतु G&SR 3.61 के प्रावधानों को Fog weather से पहले पुरा कर लिया जाय, जिससे रेलवे का संरक्षित परिचालन हो सके।	प्रमुपरिप्र

2.0	**एजेण्डा (2)–जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन।**	
2.5	**जाड़े में संरक्षित रेल परिचालनः–** जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन हेतु इस कार्यालय द्वारा विस्तृत अनुदेश प्रतिवर्ष जाड़े के शुरूआत होने से पहले जारी की जाती है। इस वर्ष भी अर्द्ध शासकिय पत्र संख्या :– ECR/ENG/W-4/432/ 09 / Winter Precaution/Pt.-1/862, दिनांकः13 / 18.10.2017 द्वारा सभी मंडलों को भेजा गया है जिस पर मंडल द्वारा जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है।	प्रमुइं

2.0	एजेण्डा (2)–जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन।	
2.6	**(1) कुहासे के मौसम में –** ➢ सभी गुडस वार्निंग बोर्ड, सी/फा बोर्ड, लिफ्टिंग बैरियर आदि को ल्यूमिनस पीला/काला पेंट से पेंटिंग कराया जाना तथा जहां आवश्यक हो, ल्यूमिनस स्ट्रीप का प्रावधान किया जाना चाहिए । ➢ पर्याप्त मात्रा में डेटोनेटर की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ➢ स्टेशन मास्टर फॉग सिगनल मैन को समुचित काउंसलिंग कर फॉग सिगनल रजिस्टर में हस्ताक्षर प्राप्त करा लेना चाहिए।	मुसंधि

2.0	एजेण्डा (2)–जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन।	
2.6	**(2) पटाखा लगाने की विधि –** ➢ पहला स्टॉप सिगनल से 270 मीटर की दूरी पर पटाखा सिगनल लगाना चाहिए । ➢ मल्टीपुल आस्पेक्ट सिगनलिंग व्यवस्था जहां एक ही डिस्टेंट सिगनल लगा है, वहां पर होम सिगनल के निकट डेटोनेटर लगाया जाना चाहिए। ➢ 'बी' क्लास स्टेशन जहां लोअर क्वाडरेंट सिगनलिंग व्यवस्था है वहां आउटर सिगनल के पास डेटोनेटर लगाना चाहिए। **(3) इंजीनियरिंग विभाग द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां –** ➢ पेट्रोलिंग मैन की व्यवस्था की जानी चाहिए जो रेल फ्रैक्चर को देखकर उचित कार्यवाही करें एवं संबंधित अधिकारी को सूचित करे ।	मुसंधि

2.0	एजेण्डा (2)–जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन।	
2.6	**(4) लोको पायलट द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां –** ➢ कुहासे के मौसम में जहां दृश्यता बहुत कम हो लोको पायलट को ट्रेन को इतना गति से चलाया जाना चाहिए कि वह किसी भी बाधा में अपनी गाड़ी को नियंत्रित कर रोक सके। ➢ **ऐब्सुल्यूट ब्लॉक सिस्टम टेरीटोरी में** –ट्रेन की अधिकतम गतिसीमा 60 कि.मी/घंटा हो। ➢ **ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम टेरीटोरी में–** • ऑटोमेटिक स्टॉप सिगनल 'हरा' पास करने के बाद ट्रेन की अधिकतम गति 60 कि.मी/घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। • ऑटोमेटिक स्टॉप सिगनल 'डबल पीला' पास करने के बाद ट्रेन की गति 30 कि.मी/घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। • ऑटोमेटिक सिगनल 'पीला' पास करने के बाद प्रतिबंधित गति से अगला स्टॉप सिगनल पर रूकने के लिए तैयार रहना चाहिए।	मुसंधि

2.0	एजेण्डा (2)–जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन।	
2.6	➢लोको पायलट द्वारा गेटमैन एवं सड़क उपयोगकर्त्ता को चेतावनी देने के लिए निर्धारित कोड में सीटी इंटरमिटेंटली बजाया जाना चाहिए। **स्टेशन मास्टर के कर्त्तव्य –** (क) सभी सिगनल दिन एवं रात में जलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। (ख) फ्रेश डेटोनेटर आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। **विशेष सावधानियां–** अप्रोचिंग ट्रेन के लिए लाइन क्लियर देने के बाद नन आइसोलेटेड लाइन में शंटिंग नहीं किया जाना चाहिए।	मुसंधि

2.0	**एजेण्डा (2)–जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन।**	
2.7	(1) जाडे में संरक्षित रेल परिचालन हेतु कुहासे के दौरान संरक्षा से संबंधित वर्ती जानेवाली सावधानियों के बार में सभी मंडलों को इस कार्यालय के दि. 31.10.17 के पत्रांक सं. ईसीआर/मेक/ओपीआर/330/एफ.डी. से अवगत करा दिया गया है एवं इनका पालन सभी मंडलों द्वारा किया जा रहा है। (2) इस कार्यालय के दि. 07.11.17 के पत्र सं. ईसीआर/मेक/डीजल/724 द्वारा सभी डीजल शेड, डेमू शेड एवं मंडलों को डीजल इलेक्ट्रिक लोको/डेमू के लिए विंटर प्रिपरेशन ड्राइव से संबंधित निर्देश जारी किया गया है।	प्रमुयांई

2.0	**एजेण्डा (2)–जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन।**	
2.7	(3)कुहासे के मौसम में रेल परिचालन में अतिरिक्त संरक्षा के लिए पूर्व मध्य रेल के सभी एक्सप्रेस/पैंसेन्जर गाडियों में कार्यरत लोको पायलट को फॉग पास डिवाइस उपलब्ध कराया जा रहा है। (4)अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा विशेष रूप से रात्री के समय फुट प्लेट निरीक्षण किया जा रहा है।	प्रमुयांई

2.0	**एजेण्डा (2)–जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन।**	
2.8	जाड़े के मौसम में संरक्षित रेल परिचालन के लिए रेल पथ की गहनता से निरंतर निगरानी होना चाहिए । निगरानी करने वाले कर्मी को ठण्ड से बचने के लिए उपयुक्त गर्म वर्दी आदि उपलब्ध कराना चाहिए ताकि कर्मी ठण्ड के भय से निगरानी बाधित न करें । जाड़े में घना कोहरा होने के कारण सिग्नल में बाधा आती है जिसे दूर करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए ।	मुसुआ

चर्चा का विषय

1.स्टेशन, कॉलोनी एवं रेल गाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना ।

2.जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन ।

धन्यवाद